



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11112025-267561
CG-DL-E-11112025-267561

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4933]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 11, 2025/कार्तिक 20, 1947

No. 4933]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 11, 2025/KARTIKA 20, 1947

सङ्क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 2025

का.आ. 5088(अ)—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सङ्क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 159अ तारीख 09/01/2025, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के खंडवा जिले में NH347-B के कि.मी. 0 से कि.मी.1 (खंडवा) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चोड़ाकरने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपन आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "15/01/2025" को "दैनिक भास्कर" और "फ्री प्रेस" दोनों में प्रकाशित किया गया था;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विलंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

मध्य प्रदेश राज्य के खंडवा जिले में NH347-B के कि.मी. 0 से कि.मी.1 (खंडवा) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना
सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: मध्य प्रदेश		जिले का नाम: खंडवा			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: खंडवा					
गांव का नाम: देशगांव					
1	741	निजी (निजी)	कृषि (असिंचित)	0.0004	शायरा तबस्सुम पत्नी मोहम्मद सलीम खान 330/4631, टीकमचंद शिंदे पुत्र डोगरचंद शिंदे 410/4631, संतोष पुत्र बृजलाल 111/4631, विकास पुत्र अशोक 410/4631, गणपत पुत्र बबल्या 410/4631, विरजू प्रजापति पुत्र मांगीलाल 330/4631, विरजू प्रजापति पुत्र मांगीलाल 500/4631, रुखमणी प्रजापति पत्नी संतोष 410/4631, प्रवीण प्रजापति पुत्र आनंदराम 410/4631, धर्मेंद्र पवार पुत्र प्रदीपचंद 490/4631, ज्योति मंडलो पत्नी पुष्पेंद्र सिंह 410/4631, अंजू झांझोरे पत्नी शंकर झांझोरे 410/4631 741/1/1/1/1
2	824	सरकारी	रोड	2.7652	सरकारी सड़क
3	882/2	निजी (निजी)	कृषि (असिंचित)	0.2308	सरकारी सड़क 882/2/2
Total				2.9964	

[फा. सं. NH-347B/Deshgaon_Khargone/3(a)/3D3]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th November, 2025

S.O. 5088(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **159E Dated:09/01/2025**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH347-B in the stretch of land from Km. 0 to Km. 1 (Khandwa) in the district of KHANDWA in the state of MADHYA PRADESH

And whereas the substance of the said notification has been published in “Dainik Bhaskar” and “Free Press ” both dated 15/01/2025 ; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEUDLE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH347-B in the stretch of land from Km. 0 to Km. 1 (Khandwa) in the district of KHANDWA in the state of MADHYA PRADESH

State: MADHYA PRADESH		District: KHANDWA			
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Khandwa					
Village: Deshgaon					
1	741	Private	Agriculture (unIrrigated)	0.0004	Shyara Tabassum W/o Mohammad Salim Khan 330/4631, Tikamchand Shinde S/o Dogarchand Shinde 410/4631, Santosh S/o Brijlal 111/4631, Vikash S/o Ashok 410/4631, Ganpat S/o Bablya 410/4631, Birju Prajapati S/o Mangilal 330/4631, Birju Prajapati S/o Mangilal 500/4631, Rukhmani Prajapati W/o Santosh 410/4631, Praveen Prajapati S/o Anandram 410/4631, Dharmendra Pawar S/o Pradipchand 490/4631, Jyoti Mandaloe W/o Pushpendra Singh 410/4631, Anju Jhanjhore W/o Shankar Jhanjhore 410/4631 741/1/1/1/1

2	824	Government	Road	2.7652	Government Sadak
3	882/2	Private	Agriculture (unIrrigated)	0.2308	Government Sadak 882/2
Total				2.9964	

[F. No. NH-347B/Deshgaon_Khargone/3(a)/3D3]

SHAIKH AMINKHAN, Director